

य बइजलास के. आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जिला राजसमन्द राज0

सं0 54/2015 रे0 वाद

मुल निर्णय दिनांक -29.01.2018

संसोधन आदश निर्णय दिनांक 13.04.2018

अनवान

शिवनारायण पिता श्री बंशीलाल जी जाति दमामी आयु 67 वर्ष निवासी देवगढ तह0 देवगढ
जिला राजसमन्द (राज.)

-वादी

बनाम

शिवमान राज्य सरकार जरीये प्रतिनीधी तहसीलदार साहब तह0 देवगढ जिला राजसमन्द


-प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा - 88,89, रा0टि0 एक्ट व 136 रा0 ले0 रे0 एक्ट

संसोधन आदेश

पुर्व मे दिनांक 29.01.2018 को प्रकरण का निर्णय हो चुका है। प्रकरण मे वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 व 153 सी पी सी का निर्णय मे लिपिकीय व गणितिय त्रुटी रह जाने से प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया कि पुर्व के मुल आदेश के अन्तिम पार्ट मे लिपिकीय एवं गणितिय त्रुटी से खसरा नं0 3023/28 रकबा 1 बिघा 10 विस्वा की जगह 3023/3 लिख दिया गया जब कि वास्तव मे 3023/28 रकबा 1 बिघा 10 विस्वा भूमि है। अतः उक्त भूमि के निर्णय के अन्तिम पार्ट मे संसोधन आदेश जारी किया जाता है कि मौजा ग्राम देवगढ पटवार सर्कल देवगढ भू अभिलेख क्षेत्र देवगढ तह0 देवगढ के खाता सं0 187/324 खसरा नं0 3023/28 रकबा 1 बिघा 10 विस्वा, खसरा नं0 3023/29 रकबा 1 बिघा 10 विस्वा, खसरा नं0 3023/3 रकबा 11 विस्वा, खसरा नं0 5135/3023 रकबा 2 बिघा कुल किता 4 रकबा 5 बिघा 11 विस्वा भूमि एव ग्राम बीड देवगढ पटवार हल्का स्वादडी देवगढ के खसरा नं0 99/28 रकबा 3 बिघा भूमि स्थित भूमि पढा जावे वह भूमि वादी शिवनारायण पिता बंशीलाल दमामी के नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

संसोधन निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को जारी किया गया निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे।


सहायक कलेक्टर देवगढ

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला राजसमन्द

राजस्थान सरकार
डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

पुर्व निर्णय दिनांक -29.01.2018

54/2015 रे0 वाद

अनवान

शिवनारायण पिता श्री बंशीलाल जी जाति दमामी आयु 67 वर्ष निवासी देवगढ तह0 देवगढ
राजसमन्द (राज.)

-वादी

बनाम

राज्य सरकार जरीये प्रतिनीधी तहसीलदार साहब तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
-प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा - 88,89, रा0टि0 एक्ट व 136 रा0 ले0 रे0 एक्ट
मुकदमा नं0 54/2015 रे0 वाद0

संसोधित डिक्री दिनांक 13.04.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरू
.....मिनजानिब मुद्दयलह पेश हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम देवगढ पटवार सर्कल देवगढ भू अभिलेख क्षेत्र देवगढ तह0 देवगढ के खाता सं0 187/324 खसरा नं0 3023/28 रकबा 1 बिघा 10 विस्वा, खसरा नं0 3023/29 रकबा 1 बिघा 10 विस्वा, खसरा नं0 3023/3 रकबा 11 विस्वा, खसरा नं0 5135/3023 रकबा 2 बिघा कुल कित्ता 4 रकबा 5 बिघा 11 विस्वा भूमि का शिवनारायण को खातेदार घोषित किया जाता है एव ग्राम बीड देवगढ पटवार हल्का स्वादडी देवगढ के खसरा नं0 99/28 रकबा 3 बिघा भूमि वादग्रस्त आराजियात ग्राम देवगढ पटवार सर्कल देवगढ भू अभिलेख क्षेत्र देवगढ तह0 देवगढ के खसरा नं0 99/28 रकबा 3 बिघा भूमि वर्तमान दर्ज कस्तुरी बेवा भगवान हनानी की जगह वास्तविक नाम कस्तुरी बेवा मंगनीराम दमामी दुरस्त किया जाकर उक्त भूमि विरासत व कब्जे के आधार पर वादी श्री शिवनारायण के नाम दर्ज रिकोर्ड किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है वर्तमान राजस्व रिकोर्ड मे कस्तुरी बाई के नाम हटाया जाकर वादी शिवनारायण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। कर्तव्य सरकारन अपना अपना वहन करेगे।

यह डिक्री जिला नोहर अदालत से आज तारिख 13.04.2018 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला राजसमन्द
देवगढ, जिला राजसमन्द

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायला	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबुत	0	00	महनताना वकील	0	00
महनताना वकील	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	फीस कमिश्नर	0	00
फीस कमिश्नर	0	00	बाबत ईजराय हुकमनामा	0	00
बाबत ईजराय हुकमनामा	0	00	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	10	00			
मिजान	13	00	मिजान	00	00

नोट- इस खर्चे के फारम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का डिक्री के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला राजसमन्द